97/2016 जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 97/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

AB
1

21–03–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 24.04.2016 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

1. आपका पत्रांक 992 दिनांक 27.02.2016 सम्बोधित निवार्चक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर के कार्यालय में पहुचंने की तारीख व आरआर नम्बर की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पत्र में वर्णित प्रार्थी के पत्र की चित्रित प्रति की नकल की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. श्री मलकियत सिंह सैनी द्वारा 2 वर्ष तक जाचं अधिकारी नियुक्त किये जाने के उपरांत भी बीएलओ श्री सुभाष गोयल के विरूद्ध कार्यवाही न करने पर मलकियत सिंह व बीएलओ के विरूद्ध जनप्रतिनिधितव अधिनियम की 1950 व 1951 की धारा 32 व 136 के अन्तर्गत नही की गई है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. पत्र प्राप्ति से इस आवेदन का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही की जानी थी कर्मकार व अधिकारी द्वारा न करने पर उनके विरूद्ध जिस नियम के अन्तर्गत कार्यवाही नही की गई है, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल द्वारा यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा चाही गई 4 बिन्दुओ की सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 775 दिनांक 28.06.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 578 दिनांक 23.05.2016 के द्वारा पंजिकृत डाक से प्रार्थी को समय पर उपलब्ध करवा दी गई थी। इसलिए अपील खारिज की जावे।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 578 दिनांक 23.05.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

आप द्वारा चाही उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 4 की सूचना के संबंध में लेख है कि:–

1. बिन्दु सं 1 व 2 के तहत वाछित सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु निर्धाति शुल्क (दो रूपये प्रति पृष्ठ) जमा करावें ताकि आपको सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जा सके।
2. शेष बिन्दु संख्या 3 व 4 के संबध में आपको अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेक्षण कर ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च मे सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमे किसी भी इलक्ट्रानिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस–विज्ञप्ति, परिपत्र आदेश लॉग बुक संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एव ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुचं हो अर्थात दूसरे शब्दों मे सूचना वही देय है जो अभिलेखों मे उपलब्ध हो।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध प्रकरण से सबंधित अभिलेखों का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते है। यदि आप सूचना से असंतुष्ट है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष 30 दिवस के भीतर अपील कर सकते है।

21/3/17
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

97/2016
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल द्वारा कुल 4 बिन्दुओ की सूचना चाही गई थी जिसमें से बिनदु सं0 1 व 2 की सूचना के लिए अपीलार्थी को दो रूपये प्रति पृष्ठ की दर से राशि जमा करवाने के लिए निदेशित किया है जो अपीलार्थी द्वारा जमा करवाने पर उपलब्ध करवा दी जावे।

जहां तक बिन्दु सं0 3 व 4 की सूचना का संबंध है जिसके बारे में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अवगत करवाया गया है कि उक्त सूचना अन्वेक्षण कर, ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है इसलिए देय नही है। **सूचना का अधिकार अधिनियम** 2005 की धारा **2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 23.05.2016 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। फिर भी** सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में **उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतू आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथी नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे** और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

(78-79/30-31)

आदेश आज दिनांक 21.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर